इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय–भिनगा

शाखा भिनगा हेतु परिसर की आवश्यकता

बैंक को अपनी शाखा भिनगा, पोस्ट आफिस–भिनगा, जनपद श्रावस्ती में भवन परिवर्तन हेतु एक भवन जिसका क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्गफुट हो, की आवश्यकता हैं। उक्त परिसर में शाखा से सम्बद्ध एटीएम मशीन हेतु 10X8=80 वर्गफुट क्षेत्रफल का, एक रूम, स्ट्रांग रूम (कैशरूम), एक स्टेशनरी रूम, (रिकार्ड रूम) एवं एक हाल की आवश्यकता है। परिसर की छत पर वी–सेट एवं सोलर आदि उपकरण भी बैंक द्वारा स्थापित किया जायेगा, जिसका कोई भी अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। परिसर के सामने पार्किंग की व्यवस्था मकान मालिक को करनी होगी। पीने एवं बाथरूम हेतु पानी की व्यवस्था भी मकान मालिक को करनी होगी। भूतल पर स्थित परिसर को वरीयता दी जायेगी। इस उद्देश्य से टेक्निकल एवं फाइनेन्सियल बिड की दोहरी प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं (दलाल नहीं) टेक्निकल एवं फाइनेन्सियल बिड का प्रारूप इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भिनगा, अस्पताल चौराहा सिविल लाइन्स, जनपद–बहराइच पिन–271801 से बैंकिंग कार्यदिवस में दिनांक 18.09.2017 तक प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.allahabadgraminbank.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। समस्त आवश्यक सूचनाओं सहित पूर्ण रूप से भरे गये प्रस्ताव अलग–अलग सील्ड लिफाफों में, जिन पर टेक्निकल बिड एवं फाइनेन्सियल बिड अंकित हो, लिफाफे के ऊपर शाखा भिनगा हेतु परिसर का प्रस्ताव एवं नीचे बांये कोने में अपना पूरा नाम, पता एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर अंकित कर क्षेत्रीय प्रबन्धक भिनगा को प्रेषित किये जायेंगे।

अलग– अलग सील्ड लिफाफों में (टेक्निकल एवं फाइनेन्सियल बिड) पूर्ण प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि 18.09.2017 को सांय 05:00 बजे तक होगी। समस्त प्रस्ताव दिनांक 18.09.2017 तक इस उद्देश्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालय भिनगा पर लगे बाक्स में भी डालें जा सकेंगे।

प्रस्ताव की टेक्निकल बिड अगले कार्य दिवस दिनांक 19.09.2017 को अपरान्ह 03:00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय भिनगा में खोली जायेगी तथा फाइनेन्सियल बिड खोले जाने की सूचना चयनित टेक्निकल विड प्रस्तावकों को तद्नुसार प्रेषित की जायेगी।

बैंक को कोई पूर्व नोटिस दिये बिना अथवा कारण बताये बिना समस्त या किसी प्रस्ताव को निरस्त करने अथवा किसी भी स्तर पर कार्यवाही को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक